न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 24/2018

अनवान :

सुनील पुत्र लिछमण उर्फ लक्ष्मीनारायण, आयु 42 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. कान्ता पत्नी जगदीश पुत्र श्री भानीराम, जाति ब्राहमण, निवासी भरोखां, तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
2. विजय } पुत्रान लिछमण उर्फ लक्ष्मीनारायण, जाति ब्राहमण,
3. सुरेश कुमार } निवासी कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।
4. सरोज } पुत्रियान लिछमण उर्फ लक्ष्मीनारायण, जाति ब्राहमण,
5. कान्ता } निवासी कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।
6. सब रजिस्ट्रार भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड, धारा 88, 188 राजस्थान का तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री कपुरचन्द शर्मा : वादी

निर्णय **दिनांक : 05-08-2019**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कलाना जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 590/530 के खसरा नं0 319 की 12.2450 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज सुनील, विजय, सुरेश, सुनीता, सरोज व कान्ता पिसरान लिछमण उर्फ लक्ष्मीनारायण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 का 5.102 हैक्टेयर व प्रतिवादिया संख्या 1 कान्ता के नाम दर्ज 1.0205 हैक्टेयर भूमि वाद भूमि है, जो वादी के पिता लिछमण वल्द मामराज से दर्ज रिकार्ड हुई है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न वाद है।

वादी के पिता लिछमण उर्फ लक्ष्मीनारायण के वादी सुनील व प्रतिवादी संख्या 2 विजय व प्रतिवादी संख्या 3 सुरेश व पवन कुमार चार पुत्र व दो पुत्रियां सरोज व कान्ता हुऐ थे। वादी के पिता लिछमण उर्फ लक्ष्मीनारायण का देहान्त दिनांक 02.08.1995 को हो गया था, व वादी की माता का देहान्त दिनांक 22.06.1998 को हो गया था।

वादी के भाई पवन कुमार का देहान्त दिनांक 29.11.2004 को हो गया था। वादी के भाई पवन कुमार की शादी बरासरी तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा की कान्ता पुत्री राधाकृष्ण ब्राहमण के साथ दिनांक 15.02.1997 को हुई थी, परन्तु कान्ता अलग स्वभाव की औरत थी, जिसके पवन कुमार के साथ कभी विचार नही मिले थे, तथा वह शादी के एक दो बार कलाना अपने ससुराल

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

आई थी, एवं पवन के साथ रहना पसन्द नही करती थी, जिसने अन्तोतगत्वा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सिरसा के न्यायालय में तलाक याचिका अन्तर्गत हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत पेश कर दी, व दिनांक 06.02.2001 को पवन कुमार से विवाह विच्छेद कर, तलाक की डिक्री प्राप्त कर तलाक ले लिया, व उसके तुरन्त बाद जगदीश पुत्र भानीराम जाति ब्राहमण निवासी भरोखां तहसील व जिला सिरसा के साथ शादी कर ली। कान्ता व पवन कुमार के मध्य दाम्पत्य सम्बन्ध स्थापीत नही हुऐ, इसलिऐ पवन से उनके कोई सन्तान नही हुई थी। इसलिऐ प्रतिवादिया संख्या 1 कान्ता पवन की मृत्यु के समय उसकी पत्नी नही थी, उसने 2001 में ही अर्थात पवन की मृत्यु से अर्सा करीब तीन वर्ष पूर्व पवन के तलाक के बाद दुसरी शादी भरोखां के जगदीश के साथ कर ली थी। इसलिऐ उसे पवन की मृत्यु पर उसकी कोई विरास्त व उसका कोई उतराधिकार प्राप्त नही हुआ।

वादी के भाई पवन कुमार का कान्ता के साथ दिनांक 06.02.2001 को विधि सम्मत तलाक हो गया था, एवं उसने उसके तुरन्त बाद जगदीश पुत्र भानीराम ब्राहमण निवासी भरोखा तहसील व जिला सिरसा से शादी कर ली, जिसके साथ वह रह रही है। पवन कुमार का देहान्त दिनांक 29.11.2004 को हो गया था, पवन की मृत्यु के बाद पवन कुमार का मुताबिक हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के मुताबिक अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट कोई प्रथम श्रैणी उतराधिकारी मौजूद नही था। इसलिऐ वर्ग 1 में कोई वारिस नही होने के कारण वर्ग 2 में विनिर्दिष्ट सम्बंन्धी भाई जो वादी सुनील,व प्रतिवादी विजय, सुरेश कुमार मौजूद है। जो पवन की वाद भूमि में 1.0205 हैक्टेयर भूमि के खातेदार काश्तकार हुऐ है, एवं उक्त भूमि में कान्ता प्रतिवादिया संख्या 1 कान्ता का कोई हक–हिस्सा नही है। मुताबिक हिन्दू उतराधिकार अधिनियम पवन की मृत्यु के समय पवन की कोई पत्नी व पवन की माता व पवन की कोई सन्तान मौजूद नही होने के कारण पवन के हिस्से की कृषि भूमि के उसके सगे भाई वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 विजय, सुरेश तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार हकदार हो गये। प्रतिवादिया संख्या 1 कान्ता ने पवन के जीवनकाल में उससे विवाह विच्छेद कर उसने दुसरी शादी कर ली थी, इसलिऐ पवन की उसको कोई विरासत प्राप्त नही है, एवं न ही वह पवन की उतराधिकारी है। इसलिऐ उसका पवन की कृषि भूमि मे कोई हक–हिस्सा नही है। परन्तु उसने अमलामाल से व राजस्व कर्मचारियो से साजबाज कर पवन की हिस्सा की भूमि को अपने नाम नामान्तरण दर्ज करवा लिया, एवं उक्त नामान्तरण व पृविष्टि बमुकाबले हक–हकुक वादी शुन्य व बेअसर है। प्रतिवादिया संख्या 1 कान्ता अपने नाम गलत आधार पर दर्ज पृविष्टि का नाजायज फायदा उठाने की गर्ज से अपने नाम दर्ज भूमि को रहन बैय व मुंतकिल करने पर आमादा है। जिसके लिऐ वह ऐलानिया तौर पर वाद भूमि को मुंतकिल करने की धमकी दे रही है। यदि वह ऐसा करने मे कामयाब हो जाती है, तो वादी को नापुरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिऐ वादी यह घोषणा करवा पाने का कानूनी अधिकारी है, कि जमाबंदी एवं राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादिया संख्या 1 कान्ता के नाम दर्ज पवन कुमार की 1.0205 हैक्टेयर भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 संयुक्त रूप से सम्भाग बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है, तथा उक्त भूमि मे प्रतिवादिया संख्या 1 व प्रतिवादिया संख्या 4, 5 का कोई हक–हिस्सा नही है, तथा प्रतिवादिया संख्या 1 को जरिऐ स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने के कानूनी अधिकारी है, कि वाद भूमि को जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादिया संख्या 1 कान्ता के नाम दर्ज जो 1.0205 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, को रहन बैय व मुतकिल नही करे। चुंकि वाद भूमि के किसी भाग पर प्रतिवादिया संख्या 1 का कब्जा रहा न ही उसने वाद

5.9.12
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

भूमि का कोई भाग कभी काश्त किया है कुल वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 काश्त करते है इसलिऐ प्रतिवादिया संख्या 1 को जरिऐ स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वाद भूमि में उनके कब्जा काश्त में स्वयं व अपने आदमियो द्वारा कोई दखल पैदा नही करे। एवं रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रतिवादी संख्या 6 सब रजिस्ट्रार भादरा है कानूनन् उसके विरूद्ध दावा पेश करने से पूर्व 80 सी.पी.सी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, परन्तु दावा वादी आवश्यक पृकृति का है। प्रतिवादिया संख्या 2 उक्त कृषि भूमि को मुतकिल करने पर आमादा है, इसलिऐ यदि नोटिस दिया जाकर दावा किया जाता है, तो विलम्ब होगा। इसलिऐ दावा न्यायालय की पूर्वाअनुमति से पेश किया जा रहा है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 संगे भाई है जिनका हित एक है जो वादी बनने के लिए उपल्बध नही थे इसलिऐ उनको बतौर तरतीबी पक्षकार बनाया गया है उनके विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वे चाहे जब वादी बनने के लिए स्वतंत्र है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 1 को बार बार आवाज लगाई गई उपस्थित नहीं आने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 6 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में सुनील पुत्र लिछमण उर्फ लक्ष्मीनारायण के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम कलाना खाता सं0 590/530 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 1, चित्रप्रति प्रमाणित पेटीशन प्रदर्श 2, चित्रप्रति प्रमाणित पेटीशन डिक्री दिनांक 6.02.2001 प्रदर्श 3, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का वादी के साथ राजीनामा हो गया है। पवन की मृत्यु हो चुकी है मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न पत्रावली है। पवन की मृत्यु से पहले तलाक हो गया था। कांता ना पुत्री, ना विधवा, ना माता, कांता का 1/15 हिस्सा दर्ज हो गया, जबकि कांता का इसमें हक नहीं है। भाई मौजूद इसलिए पहले भाई का हक बहिनों का हक बाद में बनता है। हिन्दू उतराधिकार एक्ट में प्रथम वारिस अनुसूचि प्रथम के होगें। यदि वर्ग 1 के वारिस ना हो तो वारिसों का अनुसूचि 2 में अनुसार हक बनेगा। इसलिए भाईयों का हिस्सा बहिस्सा बराबर वाद अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

हमारे द्वारा वकील वादी की बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 से पवन कुमार की मृत्यु 29.11.2004 को होना साबित होता है व प्रदर्श 2, प्रदर्श 3 निर्णय व डिक्री जो प्रतिवादीया कान्ता का पवन कुमार के साथ विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की गई है वह डिक्री 06.02.2001 की है। इससे साबित होता है कि प्रतिवादिया कान्ता की तलाक की डिक्री पवन की मृत्यु से पूर्व पारित हो गई थी इस प्रकार प्रतिवादिया सं0 1 पवन की विवाहिता पत्नि नहीं रही है एवं मुताबिक हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार वह निर्वसीयती मरने वाले हिन्दू पुरूष की किसी भी वर्ग की उतराधिकारी नहीं है। चूंकि वादी व प्रतिवादी सं0 2, 3 जो मृतक के सगे भाई है मृतक के द्वितीय अनुसूची में पहले भाई फिर बहन आती है एवं पहले का दूसरे पर अभिमान प्राप्त होता है, इसलिए मृतक पवन के वादी व प्रतिवादी सं0 2, 3 जो सगे भाई है उसकी सम्पति के

5.9.12
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

उतराधिकारी है यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मृतक पवन की सगी बहने जो प्रतिवादिया सं0 4 व 5 है। उन्होने इस संबंध में राजीनामा प्रस्तुत कर पवन के हिस्से की भूमि का उतराधिकारी वादी व प्रतिवादीगण सं0 2, 3 को होना स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर साबित पाया जाता है।

अत : वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कलाना के जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 590/530 के खसरा नं0 319 की 12.2450 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 3 संयुक्त रूप से सम्भाग बहिस्सा बराबर 4.815 हैक्टेयर व प्रतिवादिया संख्या 4, 5 संयुक्त रूप से सम्भाग बहिस्सा बराबर 2.0410 हैक्टेयर की खातेदार काश्तकार है। प्रतिवांदिया संख्या 1 कान्ता का वाद भूमि में कोई हक–हिस्सा नही है, एवं प्रतिवादिया संख्या 1 कान्ता पत्नी पवन के नाम दर्ज 1.0205 हैक्टेयर की पृविष्ठि कलमजन की जाकर उपरोक्तानुसार वादी सुनील व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 विजय, सुरेश पुत्रान लिछमण उर्फ लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी कलाना 4.815 हैक्टेयर संयुक्त रूप से सम्भाग बहिस्सा बराबर खातेदार व प्रतिवादिया संख्या 4 व 5 सरोज, कान्ता पिसरान लिछमण उर्फ लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी कलाना संयुक्त रूप से सम्भाग बहिस्सा बराबर 2.0410 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार पक्षकारान के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त की जावे एवं शेष सहखातेदारो की प्रविष्ठि यथावत दर्ज रखी जावें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5.8.19

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 177/2018

अनवान :

सुनील पुत्र लिछमण उर्फ लक्ष्मीनारायण, आयु 42 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. कान्ता पत्नी जगदीश पुत्र श्री भानीराम, जाति ब्राहमण, निवासी भरोखां, तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
2. विजय } पुत्रान लिछमण उर्फ लक्ष्मीनारायण, जाति ब्राहमण,
3. सुरेश कुमार } निवासी कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।
4. सरोज } पुत्रियान लिछमण उर्फ लक्ष्मीनारायण, जाति ब्राहमण,
5. कान्ता } निवासी कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।
6. सब रजिस्ट्रार भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलक्टर फॉस्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कपूरचन्द शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया ज़ाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कलाना के जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 590/530 के खसरा नं0 319 की 12.2450 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 3 संयुक्त रूप से सम्भाग बहिस्सा बराबर 4.815 हैक्टेयर व प्रतिवादिया संख्या 4, 5 संयुक्त रूप से सम्भाग बहिस्सा बराबर 2.0410 हैक्टेयर की खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादिया संख्या 1 कान्ता का वाद भूमि में कोई हक-हिस्सा नही है, एवं प्रतिवादिया संख्या 1 कान्ता पत्नी पवन के नाम दर्ज 1.0205 हैक्टेयर की पृविष्ठि कलमजन की जाकर उपरोक्तानुसार वादी सुनील व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 विजय, सुरेश पुत्रान लिछमण उर्फ लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी कलाना 4.815 हैक्टेयर संयुक्त रूप से सम्भाग बहिस्सा बराबर खातेदार व प्रतिवादिया संख्या 4 व 5 सरोज, कान्ता पिसरान लिछमण उर्फ लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी कलाना संयुक्त रूप से सम्भाग बहिस्सा बराबर 2.0410 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार पक्षकारान के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त की जावे एवं शेष सहखातेदारो की प्रविष्ठि यथावत दर्ज रखी जावें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से ज़ारी की गई।

5.9.19

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़